

न प्रकरण क्रमांक :

/2014 R - 2551-1114

- 1 पर्वत सिंह यादव पुत्र श्री लालाराम,
- 2 पहलवान सिंह पुत्र मथुरालाल यादव,
- 3 संग्राम सिंह पुत्र मथुरालाल यादव,
निवासीगण-वेलका, तहसील राधौगढ़, जिला
गुना (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 गजराज सिंह पुत्र हरनाम सिंह अहीर,
निवासी-ग्राम वेलका, तहसील राधौगढ़, जिला
गुना (म.प्र.)
- 2 मांगीलाल पुत्र श्री गंगाराम यादव (अहिर),
निवासी-ग्राम वेलका, तहसील राधौगढ़, जिला
गुना (म.प्र.) —अनावेदकगण

दिनांक 12-8-14 को
से हुए के अग्रवाल
के द्वारा प्रस्तुत
व
12-8-14
R-50

५

हैनगर



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

10

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.2551-दो/2014

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-08-2014	<p>संबंधित पीठासीन अधिकारी के प्रवास पर होने से आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण मेरे समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ । आवेदक अधिवक्ता श्री ए0के0अग्रवाल उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राधौगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-8-14 का अवलोकन किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।</p> <p>2- तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया है जो उचित नहीं है । न्यायहित में आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु एक और अवसर प्रदान करना चाहिये । तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रकरण का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर किया जाता है कि प्रकरण में आवेदकगण को जबाव प्रस्तुत करने का एक अवसर और दिया जाये ।</p>	<p style="text-align: right;">X</p>


प्रशासकीय सदस्य